

कार्यकारी सारांश  
पर्यावरण इमपेक्ट आकलन  
एवं  
पर्यावरण प्रबंधन प्रतिवेदन

प्रस्तावित कोयला परिष्करण परियोजना  
ग्राम— बलोदा, तहसील— जंजगीर  
जिला — चंपा  
छत्तीसगढ़

क्लीन कोल इंटरप्राइजज प्राइवेट लिमिटेड  
हैदराबाद

## 1.1 प्रस्तावना

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर के आस-पास कई परियोजनाएँ हैं जो स्पॉज आयरन का उत्पादन करते हैं। ये सभी प्लान्ट / कोयला खदान से खनन किये गये कच्चे कोयले का उपयोग—ईंधन के रूप में करते हैं। चूंकि इन कच्चे कोयले में राख की मात्रा अधिक है एवं इनकी गुणवत्ता में समानता नहीं है उनके उपयोग से अधिक वायु प्रदूषण होता है। अतः वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि इन कोयले को धोकर परिष्कृत किया जाय ताकि राख की मात्रा कम हो, कोयले की गुणवत्ता में वृद्धि हो। फलतः वायु प्रदूषण कम हो जाय। उक्त बातों को ध्यान में रखकर एक कोयला परिष्करण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संयंत्र के प्रस्तावित स्थान को प्लेट सं.—1 में दिखाया गया है।

## 2.0 प्रोजेक्ट

i) यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट एक साल में 900000 टन कच्चा कोयला की धुलाई करेगा।

कच्चा कोयला एस. सी. इ. एल. के गोवरा एवं दीपिका कोयला खान से लाई जायेगी। धोने के पश्चात् निम्नलिखित माल तैयार होगा।

धुला कोयला	—	720000 टन
मिडलिंग	—	1,77000 टन
रिजेक्ट	—	3000 टन

मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. इस परियोजना को लगायेगी।

## 3.0 जमीन :-

इस परियोजना को लगाने के लिए 11.25 एकड़ जमीन की जरूरत है। इस संयंत्र को लगाने के लिए जो जमीन चुनी गई है — उसकी विशेषतायें निम्नलिखित हैं:-

- i) यह वनभूमि नहीं है।
- ii) यह कृषि भूमि नहीं है।

- iii) यह रैयती जमीन नहीं है । अतः किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जायेगा ।
- iv) यह जमीन ऐसी जगह में है जिसेस अन्य प्रदूषण यथा जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की संभावना बहुत कम है ।
- v) कच्चा कोयला एवं तैयार माल की ढुलाई के लिए सड़क उपलब्ध है। अतः नये सड़क के निर्माण की जरूरत नहीं है ।

जरूरत के लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण हो चुका है । अधिग्रहित जमीन के अंदर धुलाई संयंत्र एवं अन्य मूलभूत संरचना बनाई जायेगी । अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं है ।

#### 4.0 जल :-

इस संयंत्र को चलाने के लिए कुल जल की मात्रा का अनुमान लगा लिया गया है।

संयंत्र को चालू करने के लिए आरंभ में 3000 किलो लीटर पानी की आवश्यकता है ।

बाद में जब संयंत्र चालू हो जायेगा तब पानी की प्रतिदिन मांग 275 किलो लीटर होगी । इस मांग में पानी का औद्योगिक मांग, पीने के पानी की मांग तथा अन्य मांगे सम्मिलित हैं ।

पानी की यह मांग ट्यूब वेल से पूरी की जायेगी ।

#### 5.0 पर्यावरण प्रबंधन :-

संयंत्र के चालू होने से पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर प्रभाव पड़ सकता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रभाव निश्चित मापदंड से अधिक नहीं हों उपयुक्त पर्यावरण अध्ययन किया गया है एवं प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त मिटिगेशन मेजर्स के सलाह दिये गये हैं ।

### 5.1 वर्तमान पर्यावरण गुणवत्ता आंकड़ा संग्रहण

पर्यावरण के विभिन्न घटकों की वर्तमान गुणवत्ता को जाँच के लिए – आंकड़ों को संग्रहण, एक मौसम (बरसात के बाद) के दौरान किया गया है। निम्न पर्यावरण घटकों के लिए आंकड़ा संग्रहण किया गया है।

- क) वायु
- ख) जल
- ग) शोर
- घ) मृदा
- च) वनस्पति (पेड़-पौधे)
- छ) वन्य जीवन

**क) वायु प्रदूषण** :- वायु पर्यावरण की गुणवत्ता जाँचने के लिए पांच स्टेशन चुने गये थे। इनमें एक स्टेशन परियोजना-स्थल पर, क्रमशः दो-दो स्टेशन संयंत्र स्थल दो दिशा में रखे गये थे, जिस दिशा से वायु का प्रवाह होता है एवं उसके विपरीत दिशा में ये स्टेशन निम्नलिखित स्थान पर रखे गये थे।

- i) बलोदा
- ii) मोहादा
- iii) जूनाडीह
- iv) भेलाई
- v) झारीडोह
- vi) सुल्तानमर

इन स्थानों पर एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि – वायु में उपस्थित धूलकण की मात्रा 85 माइक्रो ग्राम/घनमीटर से 135 माइक्रो/घनमीटर के बीच है। यह मात्रा दिये गये मानक से कम है।

इस तरह सल्फर डायक्साइड एवं नाइट्रोजन की मात्रा भी मानक से कम पाई गई है।

### ख) जल की गुणवत्ता

जल की गुणवत्ता नापने के लिए 3 नमूने भू-गर्भीय जल संसाधन से एवं 2 नमूने सतहीय जल से लिये गये । 5 नमूना निम्नलिखित स्थानों से एकत्रित किये गये थे ।

- i) बलोदा हैण्डपम्प
- ii) मोहादा हैण्डपम्प
- iii) बेहलाई हैण्डपम्प
- iv) लीलागर नदी (अप स्ट्रीम)
- v) लीलागर नदी (डाउन स्ट्रीम)

एकत्रित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भूगर्भीय एवं सतहीय जल की गुणवत्ता से पता चलता है कि जल शुद्ध है ।

### ग) शोर स्तर

6 विभिन्न स्टेशनों पर शोर के स्तर को मापा गया है। निम्नलिखित स्टेशनों पर शोर-स्तर को नापा गया है ।

- i) बलोदा
- ii) मोहादा
- iii) जूनाडीह
- iv) भेलाई
- v) झारीडोह
- vi) सुल्तानमर

एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न स्टेशनों पर शोर का स्तर दिये गये मानक से कम है ।

### घ) मृदा -

3 जगहों से मृदा के नमूने एकत्रित किये गये । उनके जांच करने पर पता चला कि मृदा में न्यूट्रियेंट की मात्रा कम है ।

### ज) वन्य-प्राणी एवं वनस्पति

चूंकि प्रस्तावित साइट वन भूमि में अवस्थित नहीं है इसलिए इस संयंत्र के बनाने से या भूमि अधिग्रहण के कारण वन्य प्राणी या वनस्पति पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

## 5.2 प्रदूषण नियंत्रण

भूमि अधिग्रहण, संयंत्र को बनाने एवं चलाने के दौरान कुछ पर्यावरण प्रदूषण होगा। इन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे ।

क) वायु प्रदूषण नियंत्रण :- परिष्करण संयंत्र के संचालन गतिविधियों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे।

i) कच्चे कोयले को चूरने वाले क्रशर को कंक्रीट के दीवार से घेर दिया जायेगा । इससे कोयले को चूरने के दौरान उत्पन्न धूलकण वायुमंडल में विसर्जित नहीं होगा ।

क्रशर गृह में धूल को एकत्रित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

ii) चूरे हुए कोयले को बेल्ट कनवेयर की मदद से संवाहित की जायेगी । इस बेल्ट कनवेयर को दो ओर से लोहे की चादर से घेर दी जायेगी । इस तरह धूलकण वायु में विसर्जित नहीं होगा ।

iii) हरेक ट्रान्सफर बिन्दु पर जल छिड़काव करने की व्यवस्था की जायेगी । इससे धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जायेगा ।

iv) कच्चा कोयला एवं परिष्कृत कोयले को संवाहित करनेवाले हरेक ट्रक को – प्लास्टिक चादर से ढंक दिया जायेगा । इससे धूल उत्सर्जन रोका जा सकता है ।

v) कोयले का स्टॉक को लोहे की चादर से तीन तरफ से घेर दिया जायेगा । इससे धूल उत्सर्जन को रोका जा सकेगा ।

vi) परियोजना के अंदर के सड़कों पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जायेगा ।

ख) जल प्रदूषण नियंत्रण :-

i) परिष्करण संयंत्र के विसर्जित प्रदूषित जल को सेडिमेंटेशन टैंक में शोधित किया जायेगा । शोधित जल को फिर से संयंत्र को चलाने के लिये उपयोग में लाया जायेगा । अतः इस परियोजना से कोई प्रदूषित जल प्रवाहित नहीं होगा ।

ii) कैंटीन एवं शौचगृह से विसर्जित प्रदूषित जल को सैप्टिक टैंक में शोधित किया जायेगा । शोधित जल भू-जल को रिचार्ज करने में उपयोग किया जायेगा ।

ग) हरित पट्टी का विकास :-

परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित जगहों में हरित पट्टी का विकास किया जायेगा ।

i) सड़क के दोनों ओर

ii) परियोजना क्षेत्र के सीमा पर चारों ओर

iii) परियोजना क्षेत्र के अंदर (ब्लॉक प्लान्टेशन)

ब्लॉक प्लान्टेशन किया जायेगा । ये हरित पट्टियाँ शोर को नियंत्रित करेगा एवं धूलकण को शोषण करेगा । इनसे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा ।